उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0सरकार का उपकम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल,शक्ति भवन विस्तार,14–अशोक मार्ग, लखनऊ
दूरभाष सं0: 0522–2287868, फैक्स सं0: 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com वेबसाईट–
www.uppcl.org
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0 –मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 दिनांकः अप्रैल, ,2017

विषय– एल0एम0वी0–1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–4बी, एल0एम0वी0–5 (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

शुद्धि–पत्र

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या 358–मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 दिनांक 13.04.2017 के साथ संलग्न कार्ययोजना में टंकण त्रुटि के कारण बिन्दु संख्या 7(ब) एवं 7(स) को निम्नवत पढा जाये :–

"7(ब) इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0–5(ग्रामीण) विधा में कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च–2017 तक के विद्युत बीजको में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज का निर्धारण कुल बिल की धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। एल0एम0वी0–5(ग्रामीण) श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को चार किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। निम्नवत निर्धारित किश्तों में प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात शेष बकाया धनराशि को तीन बराबर द्विमासिक किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान करना चाहता है तो उसपर प्रतिबन्ध नही है। चार किश्ते निम्नवत निर्धारित होंगी :–

(i)	पहली किश्त	बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत या रू0 10000.00 जो भी अधिक। 15.06.17 से पूर्व।
(ii)	द्वितीय किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.08.17 से पूर्व।
(iii)	तृतीय किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.10.17 से पूर्व।
(iv)	चतुर्थ किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.12.17 से पूर्व।

सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा उक्त किश्तों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें की प्रथम किश्त के विवरण को अंकित करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी आगामी किश्तों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा निर्धारित समयावधि पर किया जाय।

7(स) इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0–6(औद्योगिक) विधा में माह मार्च–2017 तक के विद्युत बीजको में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि संशोधित बिल की देय धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज का निर्धारण कुल बिल की धनराशि के

अधिकतम **30 प्रतिशत** के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी।"

इसके अतिरिक्त उक्त कार्य योजना के बिन्दु संख्या 4 में और अधिक स्पष्टता, उपभोक्ताओं की सुविधा एवं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु सूचनीय है कि पंजीकरण अवर अभियन्ता स्तर, उपखण्ड, खण्ड, मण्डल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में मुक्त रूप से कराये जा सकते है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थल पर पंजीकृत किये गये उपभोक्ताओं की सूचना प्रत्येक स्थिति में 48 घण्टे के अन्दर खण्डीय कार्यालय के रजिस्टर में अपडेट हो जाये।

योजना की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्त योजना का उक्त संशोधनों को अंगीकृत कर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। योजना की प्रगति से प्रतिदिन वाणिज्य स्कन्ध को निर्धारित प्रारूप में अवगत करवाना भी सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः 363 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/ओ0टी0एस0 तद्दिनांकः 18-04-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

ई–मेल

1. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।

ई–मेल

2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ /मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पावर कारपोरेशल की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

18/4/17

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)